स्पाइसेस बोर्ड

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

शुद्धिपत्र

फ़ा.सं. सी सी एस सी एच 3/ आशुअनुवाद व अनुवाद दिनांक: 17 सितम्बर 2018

शुद्धिपत्र : मसालों व पाक शाकों पर कोडेक्स समिति के चौथे सत्र(सी सी एस सी एच 4) केलिए सत्रकालीन समक्षणिक आशुअनुवाद प्रदान करने केलिए निविदा सूचना

संदर्भ:

क) इ-प्रकाशित निविदा सं. 2018-एस बी-354798-1, दिनांक: 28 अगस्त 2018

ख) स्पाइसेस बोर्ड वेबसाइट निविदा दिनांक: 27 अगस्त 2018

ग) उपर्युक्त निविदाओं केलिए दिनांक 17 सितंबर, 2018 को प्रकाशित शुद्धिपत्र

उपर्युक्त के संदर्भ में, उक्त निविदा में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

1. समक्षणिक आशुअनुवाद दल के सदस्य(सदस्यों) केलिए हवाई यात्रा टिकेट का प्रबंध स्पाइसेस बोर्ड करेगा। बोलीदाता को, दल के सदस्य किस हवाई अड्डे से यात्रा कर रहे हैं और आने-जाने की अस्थाई यात्रा तिथि की सूचना देना है। यात्रा की तिथियों केलिए, जैसेकि निविदा खोलने की तारीख को है, हवाई भाडे पर विचार करने केलिए वित्तीय बोलियों की तुलना की जाएगी।
2. कार्य आदेश प्रदान किए जाने के तुरंत बाद, अस्थाई यात्रा कार्यक्रम के साथ योग्यता प्राप्त बोलीदाता के दल सदस्यों द्वारा यात्रा केलिए आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत की जानी है।
3. सफ़ल बोलीदाता के दल के सदस्यों केलिए भोजन व आवास की व्यवस्था स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। इसलिए सी सी एस सी एच 4 सत्र में भाग लेनेवाले दल के किसी भी सदस्य को कोई डी एस ए नही दिया जाएगा।
4. सफ़ल बोलीदाता के दल के सदस्यों केलिए तिरुवनन्तपुरम से बैठक-स्थान तक का परिवहन स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा और कोई अतिरिक्त परिवहन चार्ज का भुगतान नही दिया जाएगा।
5. भारतीय बोलीदाताओं केलिए, समक्षणिक आशुअनुवाद के सभी भुगतान हेतु लागू जी एस टी को स्रोत (टी डी एस) से कटौती की जाएगी। कार्या आदेश प्रदान करने पर योग्यता प्राप्त बोलीदाता द्वारा जी एस टी मानकों केलिए अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को स्पाइसेस बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
6. सफ़ल बोलीदाता को ज़ारी करने के सात दिनों के भीतर कार्य आदेश को स्वीकार करना होगा।
7. **जिन बोलीदाताओं ने इस शुद्धिपत्र की तारीख के पहले बोली प्रस्तुत की है, उनसे उपर्युक्त मुद्दों पर विचार करते हुए अपनी बोलियों को पुनःप्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।**

(ह.)

निदेशक